भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

तारांकित प्रश्न संख्या. *5

(जिसका उत्तर सोमवार, 25 नवंबर, 2024/4 अग्रहायण (शक) को दिया गया)

दिवालिया कंपनियां

***5. श्री राजीव प्रताप रूडी**

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2018 से 2024 के दौरान आज तक राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष दिवालियापन के लिए दायर हुई कंपनियों की सेक्टर-वार सूची क्या है तथा उनसे संबंधित वित्तीय विवक्षा का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन कंपनियों के दिवालियापन के क्या कारण हैं; और

(ग) एनसीएलटी द्वारा ऐसे कितने मामलों का समाधान किया गया है और तत्संबंधी कुल परिणाम क्या है?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्रीमती निर्मला सीतारमण)**

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

'दिवालिया कंपनियां' के संबंध में 25 नवंबर, 2024 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *5 (5वां स्थान) के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(**क**): दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) के अंतर्गत 30 सितंबर, 2024 तक राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण में कुल 40,943 मामले दर्ज किए गए हैं।

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**फाइलिंग**
1.	अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019	9,243
2.	अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020	12,373
3.	अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021	3,392
4.	अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022	4,855
5.	अप्रैल, 2022 से मार्च, 2023	4,730
6.	अप्रैल, 2023 से मार्च, 2024	4,014
7.	अप्रैल, 2024- सितम्बर, 2024	2,336
कुल		40,943

व्यापक क्षेत्रीय विवरण भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (www.ibbi.gov.in) की वेबसाइट पर प्रकाशित तिमाही समाचार पत्र में उपलब्ध हैं, जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।

(ख): सरकार द्वारा ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(**ग**): सितंबर 2024 तक समाधान किए गए मामलों का विवरण इस प्रकार है:

प्रक्रिया	**मामलों की संख्या**	**वसूल की गई राशि (रु. करोड़ में)**
कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया	1068	355374.74
परिसमापन प्रक्रिया	769	7608.82
स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया	1533	11106.00
व्यक्तिगत गारंटरों की दिवाला समाधान प्रक्रिया	26	102.78

****